न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 16/2017/टीए

1. बिजिया उर्फ विजयराम पिता बिन्जा मीणा
2. रामा पिता बिन्जा मीणा
3. मु. इतरी पत्नि बिजीया उर्फ विजयराम मीणा
4. मु. इतरी पत्नि रामा मीणा
5. धारिया पिता बिजिया उर्फ विजयराम मीणा
6. ईश्वर पिता बिलिया उर्फ विजयराम मीणा
7. मु. रेखा पत्नि ईश्वर मीणा
8. रूपा पिता खातीया मीणा

   सभी निवासी सिंगाडा का खेडा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
9. बाबु पिता लाला मीणा
10. लच्छीया पिता लाला मीणा

    दोनो निवासी रिछडी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. उदा पिता फुलिया मीणा
2. जीवा पिता फुलिया मीणा
3. हीरा पिता फुलिया मीणा
4. बादरू पिता फुलिया मीणा

   दोनो निवासी सिंगाडा का खेडा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
दिनांक 15.06.2016 प्रकरण सं. 40/2014

उपस्थित – 1. श्री यशवंतपुरी गोस्वामी – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री ललित झंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट – 1 से 4

निर्णय दिनांक– 18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30/06/2014 को एक वादपत्र दिनांक 02/07/2014 को विरूद्ध अपीलान्टस के विधिविरूद्ध अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तेश किया तथा उसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ताःफैसला मूलवाद के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अपीलान्टस को पाबन्द किया जावे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात मे दखजदांजी व हस्तक्षेप नही करे। इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ

न्यायालय ने विधिविरूद्ध आदेश पारित करते हुए दिनांक 15/06/2016 को अपीलान्टस एवं अधिवक्ता अपीलान्टस की अदम मौजुदगी मे लोक अदालत कैम्प रायपुर जंगल मे स्वीकार कर लिया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस द्वारा जवाब व दस्तावेजात को देखे व पढे बिना तथा ना ही प्रश्नगत विवादित पुश्तैनी भूमि पर पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार किस पक्ष का कब्जा किस आराजी पर है और कौन इसे कितने वर्षो से बिना रोक टोक के स्वामित्व के रूप मे उपयोग उपभोग मे ले रहा है और कृषि कर रहा है आदि को ध्यान मे रखे बिना तथा केवल मात्र रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र के आधार पर विधि विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलान्टस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश जवाब एवं पारिवारित सजरे के अनुसार मौजा सिंगाडा का खेडा पटवार हल्का रायपुर जंगल तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ वर्तमान संवत् 2067 से 2070 की जमाबन्दी के अनुसार आराजी संख्या 86,93,95,96 रकबा क्रमशः 1.01 है0, 1.60 है0, 0.42 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.61 है0 प्रश्नगत विवादित कृषि भूमि मुलपुरूष स्वर्गीय गांगा मीणा की पुश्तैनी जमीन है, जिनकी मृत्यु के बाद उक्त प्रश्नगत भूमि उनके दो पुत्रो हीरा तथा हकरा के खातेदारी मे विरासत से नामान्तकरण खुलकर प्रत्येक के 1/2 हिस्सा आनी चाहिये थी, जो नही आई और सेटलमेन्ट के समय सहवन से या गलती केवल हीरा के नाम पर आ गई और उनकी मृत्यु के बाद हीरा के दो पुत्र फुलिया के नाम विरासत से नामान्तकरण खुलकर आई और उसकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टस के नाम नामान्तकरण विरासत से खुलकर आई। वउदपत्र/प्रार्थना पत्र मे फुलिया की पत्नि धुलकी व लडकी रक्की के बारे मे कुछ नही बताया गया जबकि दोनो आवश्यक पक्षकार है। बिन्जिया के पुत्र बिलिया उर्फ बिजयराम व रामा को क्रमशः वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र मे प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 व 2 बनाया गया है, जबकि बिन्जिया की अन्य संतान पुत्र ओमप्रकाश व नानुराम, पुत्रिया कमली, दितुडी, नानकी उर्फ नाकुडी को पक्षकार नही बनाया गया है। बिन्जिया के 7 वारिसान है, जिनमे केवल मात्र दो को पक्षकार बनाया गया है। जबकि प्रश्नगत विवादित कृषि भूमि के अच्छे से अच्छे व बुरे से बुरे 1/2 हिस्से पर अर्थात् 1.80 है0 पर फुलिया के वारिसान तथा 1/2 हिस्से अर्थात् 1. 80 है0 पर बिन्जिया के वारिसान का कब्जा एवं पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार स्वामित्व पिछले करीब 70–80 वर्षो से बिना रोक टोक के पारिवारिक मौखिक बंटवाडे अनुसार है औश्र उसी अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रश्तगत भूमि मेस 0.01 है. मे फुलिया एवं

बिन्जिया के वारिसान मकान बनाकर रह रहे है। जिसका पत्रावली मे पेश जमाबन्दी संवत् 2067–2070 मे मकान के रूप मे इन्द्राज है। अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त प्रकरण मे दिनांक 02/07/2014 से लेकर 12/05/2016 तक 19 पेशियां हुई और उसकी फर्द अहकाम लिखी गई और पेशियां बदली गई। दिनांक 01/02/2017 को अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय मे पेशी पर गये और वादपत्र मे जवाबदावा (काउण्टर क्लेम) पेश किया तथा जवाब पेश किया दोनो की कॉपी अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण को दी गई। दिनांक 19/04/2017 को वादीगण के अधिवक्ता ने जवाबदावे को जवाब दिया। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जो दिनांक 15/06/2016 को लोक अदालत केम्प रायपुर जंगल मे स्वीकार किया जा चुका है। अपीलान्टस की उपस्थिति मे कैम्प मे दिनांक 15/06/2016 को प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार करते हुए फैसल कर दी गई। इससे जानकारी दिनांक 16/04/2017 से अन्दर मयाद अपील पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/06/2016 को निरस्त कर धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया जावे कि वह मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे व इस अपील की चरण संख्या 4 मे बताई अपीलान्टस के पारिवारिक बंटवाडे एवं हिस्से एवं कब्जे की 1/2 अर्थात् 1.80 है0 प्रश्नगत विवादित कृषि भूमि के कब्जे एवं उपयोग उपभोग मे फसल, बोने, काटने व ले जाने आदि मे प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न किसी ओर से करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की नही है। ऐसी सूरत मे प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट के हक मे बनता है। जहां तक सुविधा का संतुलन विवादग्रस्त भूमि पर 70–80 साल से 3 पीढियो से 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज है जिस पर मकान दर्ज है जो जमाबन्दी संवत् 2071–74 से भी स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के दर्ज 30 पर पुलिस समझौता उपलब्ध है जिसमे उक्त भूमि पर कब्जा होना दर्शाया है दोनो पक्ष लिखित राजीनामा सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करेगा। जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है? यदि अपीलान्ट को स्थगन नही दिया गया तो उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/06/2016 को निरस्त कर धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया जावे कि वह मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण

संख्या 2 मे व इस अपील की चरण संख्या 4 मे बताई अपीलान्टस के पारिवारिक बंटवाडे एवं हिस्से एवं कब्जे की 1/2 अर्थात् 1.80 है0 प्रश्नगत विवादित कृषि भूमि के कब्जे एवं उपयोग उपभोग मे फसल, बोने, काटने व ले जाने आदि मे प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न किसी ओर से करावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि वाद के विचाराधीन रहने तक विवादग्रस्त आराजीयात की व्यवस्था के सम्बन्ध मे धारा 212 आरटीएक्ट मे प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे दोनो पक्षो को सुनकर मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश दिये है जो दोनो के पक्ष मे है। इससे किसी भी पक्ष को क्षति नही होगी। आज तारीख मे रेस्पोडेन्ट खातेदार है। धारा 140 भू–राजस्व अधिनियम मे यह माने जाना का प्रावधान है कि खातेदार के पास कब्जा है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तीनो कारक रेस्पोडेन्ट के हक मे है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है जिसमे दोनो पक्षो के अधिकार सुरक्षित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया है जो पक्ष विशेष के हक हो। ऐसी सूरत मे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी अरनोद द्वारा प्रकरण संख्या 40/2014 मे पारित आदेश दिनांक 15/06/2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्टस खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ